न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—182/2019/225 (2019/00182)

1. कानाराम पुत्र स्व0 भैरू, जाति जाट, निवासी सुनाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. किशनलाल पुत्र स्व0 भैरू, जाति जाट, निवासी सुनाडिया, तहसील दूदू, जिला जयुपर ।
3. गोरधन पुत्र स्व0 भैरू, जाति जाट, निवासी सुनाडिया, तहसील दूदू जिला जयपुर ।
4. सायर पुत्री स्व0 भैरू, जाति जाट, निवासी सुनाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र स्व0 सुवा, जाति जाट, नि0 सुवाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. गोगाराम पुत्र स्व0 सुवा, जाति जाट, नि0 सुवाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. मांगीलाल पुत्र स्व0 सुवा, जाति जाट, नि0 सुवाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
4. प्रधान पुत्र स्व0 सुवा, जाति जाट, नि0 सुवाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
5. कल्याण पुत्र स्व0 सूरजकरण (मृतक) जरिये वारिसानः—
   5/1— श्रीमती रोडी पत्नि स्व0 कल्याण, जाति जाट, निवासी सुवाडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
   5/2— राम प्रताप पुत्र स्व0 कल्याण, जाति जाट, निवासी सुवाडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
   5/3— नारायण पुत्र स्व0 कल्याण, जाति जाट, निवासी सुवाडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
   5/4— रामफुल पुत्री स्व0 कल्याण, जाति जाट, निवासी सुवाडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
   5/5— मनफुल पुत्री स्व0 कल्याण, जाति जाट, निवासी सुवाडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
   5/6— हरफुल पुत्री स्व0 कल्याण, जाति जाट, निवासी सुनाडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
6. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा, दूदू, जिला जयपुर ।
7. उप पंजीयक कार्यालय, दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
8. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, दिनांक 16.5.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 81/2018.

उपस्थितः—

1. श्री रामजीलाल शर्मा एवं श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विनोद कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 5/1 से 5/6.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित ।
4. श्री सुरेन्द्र शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 25.8.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 16.5.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात खतौनी संख्या 14, 153, 152, 175 कुल किता 13 कुल रकबा 10.7100 हैक्टेयर आराजियात वाके ग्राम सुनाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है जिसका इंद्राज वर्तमान में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के नाम से दर्ज चला आ रहा है जबकि मौके पर सुवा, भैरू, कल्याण पुत्र सूरजकरण के वारिसान अपने हिस्से की आराजी को मौके पर 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार पुश्तैनी रूप से बटवारा करके काबिज काश्त चले आ रहे है । बरवक्त पर्चा सैटलमेंट के समय संपूर्ण आराजी का पर्चा स्व0 रूधा के नाम से जारी हो गया जिसकी फौती पर विरासत का नामांतकरण उसके जायज वारिसान के नाम खोला गया जिसके द्वारा अपने हिस्से अनुसार स्व0 सूरजकरण को विरासत से प्राप्त हुई । सूरजकरण के साथ उसके तीनों पुत्र संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहे और सूरजकरण के फौत होने पर तीनों लड़कों को आराजी काश्त हेतु संभला दी थी किन्तु दोनों भाईयों ने साजिश रचकर स्व0 सूरजकरण की विरासत का नामांतकरण चुपचाप में अपने नाम खुलवा लिया जबकि भैरू उसके हिस्से पर काबिज था तथा उसके स्वर्गवास के बाद वारिसान आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है । भैरू बीमारी के कारण सन् 2008 में फौत हो गया । भैरू के इंतकाल के बाद वादीगण/अपीलांटस ने भैरू की फौती आराजी बाबत् पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की तो विवादित आराजी भैरू के नाम नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा अपने हित में लगवा लिया जाना ज्ञात हुआ । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 16.5.2019 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी है, जिस पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित था । इस कारण दौरान वाद

अप्रार्थी को पाबंद किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है जिसमें वाद विचारण निर्णय होना शेष है । ऐसी स्थिति में वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात को सुरक्षित रखना न्यायहित में आवश्यक है लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना गैर कानूनी रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है केवल मात्र यह अंकित किया है कि पक्षकारान खातेदारान काश्तकार है । पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है । जबकि अधी0न्याया0 ने निर्णय में यह माना है कि विवादित आराजी बाबत् कुछ अप्रार्थीगण ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में एक ही परिवार के सदस्य के मध्य वाद बाहुल्यता को रोकने ओर प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को समझे बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अवैधानिकता बरती है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यदि वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का बेचान कर देते है या पुख्ता निर्माण कर लेते है तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी तथा प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने उक्त बिन्दु को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। मूल वाद अधी0न्याया0 में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकार निर्धारित किये जाने शेष है । ऐसी स्थिति में भी वाद के विचाराधीन रहते वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। अधी0न्याया0 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को समझे बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंटस को पाबंद किया जावे कि विवादित आराजियात को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे, निर्माण कार्य नहीं करे एवं अपीलांटस के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2012 पेज 699, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 519, आर0बी0जे0 2015 पेज 544, आर0आर0डी0 2015 पेज 497 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5/1 से 5/6 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खतौनी संख्या 153, खतौनी संख्या 14, खतौनी संख्या 152 व खतौनी संख्या 175 वाके ग्राम सुनाडिया, तह0 दूदू में स्थित है । उक्त भूमियां अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 5/1 से 5/6 के पिता कल्याण के नाम जो हिस्सा है दर्ज है उस पर रेस्पो0 अपने पिता के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे प्रार्थीगण/अपीलांटस को कोई संबधं नहीं है । विवादित आराजियात में अपीलांटस का कोई भी पुश्तैनी हिस्सा नहीं है । विवादित भूमि सूरजकरण पुत्र रूघा के कब्जे काश्त की भूमि थी जिसके फौत होने पर प्रार्थीगण के पिता भैरू शादी के बाद से ही अपने ससुराल कैरिया, तह0 मालपुरा जाकर बस गया और वहीं पर अपने परिवार सहित

निवास करता रहा । उनके द्वारा अपना जो हिस्सा बनता था उसे अपनी सहमति से उसके अन्य दो भाईयों सुवा व कल्याण के हक में छोड़ दिया था । इस प्रकार अपीलांटस के द्वारा अपना हिस्सा छोड़ देने पर सूरजकरण पुत्र रूघा की विरासत का नामांतकरण सुवा व कल्याण के बहिस्सा बराबर बराबर तस्दीक किया गया और उसके पश्चात् उक्त भूमि की खातेदारी सुवा व कल्याण के नाम दर्ज हुई और वे उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से आधे–आधे हिस्से पर काबिज काश्त रहे है तथा उनकी मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 5/1 से 5/6 काबिज काश्त चले आ रहे है। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि को सूरजकरण ने अपने जीवनकाल में कभी भी विभाजन नही किया बल्कि सूरजकरण के साथ उनके दोनों लड़के सुवा व कल्याण जो उनके पास रहते थे संयुक्त रूप से विवादित भूमि पर काबिज काश्त रहे है। सुवा व कल्याण द्वारा यदि चुपचाप विरासत नामांतकरण खुलवा लिया होता तो अपीलांटस के पिता द्वारा नामांतकरण बाबत् अवश्य कार्यवाही की जाती । अपीलांटस द्वारा उनके पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई बल्कि उनकी मृत्यु उपरांत वाद पेश किया है। अपीलांटस अपने पिता द्वारा किये गये कथनों से पाबंद है । अपीलांटस को विरासत नामांतकरण की प्रारंभ से जानकारी रही है । रेस्पो0 संख्या 5/1 से 5/6 विवादित आरायिजात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5/1 से 5/6 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 523, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 1393 एवं आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 634 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात अपीलांटस के दादा सूरजकरण को विरासत से प्राप्त हुई थी जिसमें सूरजकरण तीनों पुत्र संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहे किन्तु सूरजकरण के फौत होने पर स्0 सूरजकरण की विरासत का नामांतकरण सुवा व कल्याण पुत्रगण सूरजकरण ने अकेले अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि अपीलांटस के पिता भैरू भी स्व0 सूरजकरण के पुत्र होने से अपीलांटस का भी विवादित आराजियात में हक व अधिकार है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 153, 14, 152 व 175 वाके ग्राम सुनाडिया वर्तमान जमाबंदी अनुसार रेस्पो0 के नाम से दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सूरजकरण की मृत्यु हुए लगभग 41 वर्ष हो चुके है तथा उसकी विरासत का नामांतकरण वर्ष 1977 में खोला गया है । उक्त विरासती नामांतकरण के विरूद्ध वादीगण/अपीलांटस ने लगभग 41 वर्षो उपरांत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है । प्रार्थीगण/अपीलांटस को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधिसम्मत् नहीं है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 523 एवं आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1393 का अवलोकन किया गया जिसमें यह

सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि रिकार्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नही होता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.5.2019 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.8.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर